

## अभिवचन पत्र

उच्च शिक्षा विभाग, म. प्र. शासन द्वारा जारी पत्र क्र.579/1472/2018/38-3 दिनांक 17/04/2023 के परिप्रेक्ष्य में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक दि. 26/04/2023 में लिए गए निर्णय के अधीन मुझे मेरी पदोन्नति के प्रकरण में म.प्र. उच्च न्यायलय की इन्दौर खंडपीठ में (WP No. \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_) विचाराधीन रहते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कैरियर एडवांसमेंट योजना का लाभ दिया जाकर पदोन्नति पत्र जारी किया जा रहा है। मैं अभिवचन देता/देती हूँ कि इस प्रकरण के निराकरण में जो भी न्यायालयीन निर्णय पारित होगा, वह अन्य पक्षों की भांति मुझ पर भी बंधनकारी रहेगा। यह आदेश जारी होने पर यदि कोई न्यायालयीन वाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी, जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही मुझे मान्य होगी।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

साक्ष्य:

नाम \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

विभाग \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

स्थान \_\_\_\_\_